

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र.01, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्रमांक 464/शिल्प/कॉरीडोर-10/930

रायपुर, दिनांक 8/2/2017

प्रति,

कलेक्टर बालोद,
जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरुर-झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के अन्तर्गत राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के झलमला से कोहका महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग का 2/4 लेन चौड़ीकरण का कार्य जो जिला बालोद के तहसील बालोद एवं डौण्डी के राजस्व ग्राम झलमला, सिवनी, देउरजतराई, हीरापुर, बालोद, दैहान, वनगांव, दानीटोला, गुजरा, सुवरबोड़, जमही, शिकारीटोला, कुसुमकसा, अरमुड़कसा, पथराटोला, खम्हारटोला, चिखलाकसा, बिटाल, धोबेदंड, झींकाटोला, हितकसा, तक बनाया जाना प्रस्तावित है। निम्नांकित अनुसूची-1 अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

कृपया संलग्न सूची के आधार पर राजस्व वन भूमि का प्रति हस्ताक्षरित प्रारूप एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहपत्र:- अनुसूची एक

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 1
लो0नि0वि0 रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / शिल्प/कॉरीडोर-10/930
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक / /2017

1. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, लो.नि.वि., रायपुर(छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, लो.नि.वि., रायपुर(छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद/डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, रा.रा. अनुविभाग, लो.नि.वि. बालोद (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 1
लो0नि0वि0 रायपुर (छ.ग.)